



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली सोमवार, अप्रैल 16, 1973/चैत्र 26, 1895  
No. 88] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1973/CHAITRA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue & Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th April 1973

No. DRAWBACK/PN-17/73.—In the Public Notice No. 15 published in Part I, Section (1) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 4th April, 1973, the Central Government hereby makes the following correction in the table published therein:—

For 'Vegetable Content' read 'Vegetable Product Content'.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

गुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1973

सं० प्रतिश्रवायगी/पी० एन०-17/73.—भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 4 अप्रैल, 1973 के भाग I खण्ड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० 15 में प्रकाशित सारणी में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित सुधार करती है:—

“वनस्पति अन्तर्वस्तु, के लिए ‘वनस्पति उत्पाद अन्तर्वस्तु’ पढ़ा जाय।

(Department of Revenue &amp; Insurance)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th April 1973

No. DRAWBACK/PN-18/73.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in para 2 of Public Notice No. 82/72, dated 27-10-1972, published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I—Section (1), dated 27-10-1972, namely:—

C. BHUJANGASWAMY,

Joint Director (Drawback).

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1973

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-18/73.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित प्रविष्टि सं० 52/सा० सं० 602/2/70 ए० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-10-1972 के भाग 1, खंड (1), में प्रकाशित दिनांक 27-10-1972 की सार्वजनिक सूचना सं० 82/72 के पैराग्राफ 2 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

‘31-3-1973’ के लिए ‘31-5-1973’ पढ़ा जाए।

सी० भुजंगस्वामी,

संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)।